न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र० प्रकरण क्रमांक 272 / 2015 अ०फो० संस्थापित दिनांक 31.01.2013

आरोपी / अपीलार्थी द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता । राज्य शासन द्वारा ए०पी०पी० श्री दीवानसिंह गुर्जर ।

> न्यायालय श्री एस०के०तिवारी, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 107/2010 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 02.01.2013 से उत्पन्न दाण्डिक अपील।

// निर्णय// (आज दिनांक 27—08—2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा 374 द0प्र0सं० के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के०तिवारी द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 107 / 2010 निर्णय दिनांक 02.01.2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को धारा 279 भा०द०वि० के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है एवं आरोपी / अपीलार्थी को 279 भा०द०सं० के अपराध में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यत्क्रम में दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

02. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 19.01.2010 को सुबह साढे चार बजे फरियादी अपने घर से चार पिहया का ठेला लेकर दंदरीआ दुकान लगाने के लिए ला रहा था। जैसे ही वह ग्राम घमूरी के पास पहुँचा तभी मेहगांव तरफ से एक आयसर केंटर लाल रंग जिसका नम्बर एम.पी. 07 जी.ए. 1424 का चालक केंटर को तेजी और लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके ठेले में टक्कर मारी दी जिससे ठेले में रखा सामान रोड पर फेल गया और फिरयादी को कमर, जॉघ व पेरों में भी चोटें आई। घटना अशोक व अन्य के द्वारा देखी गई। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मों में अप.क. 05/12 धारा 279, 337 भाठदंठिक की लेखबद्ध की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपी की गिरफ्तारी की गई एवं घटना कारित करने वाले वाहन की जप्ती की गई एवं गांडी के रिजस्ट्रेशन, बीमा एवं फिटिनस की फोटोप्रिति जप्त की गई एवं ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोप्रित भी जप्त की गई। प्रकरण की समम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र विचारण हेतु क्षेत्राधिकार जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी को धारा 279, 337 भा0द0सं० के तहत अपराध लगाकर अपराध की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाई समझाई गई आरोपी ने अपराध से इन्कार किया, उसका विचारण किया गया विचारण उपरांत आरोपी को धारा 279, 337 भा0द0सं० के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुये उसे धारा 279 भा0दं0वि० के अपराध में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से व अर्थदण्ड के व्यत्क्रम में दा माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दिण्डत किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

04. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दण्डाज्ञा दिनांक 02. 01.2013 विधि विधान के विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई है एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है एवं साक्षी आपस में रिस्तेदार है तथा प्रकरण के फरियादी / आहत एवं आरोपी से भाडे के संबंध में पूर्व से विवाद होने को अनदेखा करते हुए इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने एवं अर्थदण्ड की राशि बापस दिलाये जाने का निवेदन किया है।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुये उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुये अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

06. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 20.01.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार //

07. घटना के फरियादी प्रकाशचन्द्र जैन अ०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए बताया है कि वह अपने चार पिहया के ठेले को लेकर दंदरौटा जा रहा था, उसी समय एक लाल डी.सी.एम. जिसका क्रमांक एम.पी. 07—1424 ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर मारने से उसके ठेला टूट गया। उसके दोनों पेरों, रीड की हड्डी में चोट आई थी और उसका नुकसान भी हो गया था। गाडी भिण्ड की तरफ से रफ्तार से आ रही थी। उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र.पी. 1 है एवं पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र.पी. 2 है।

08. प्रतिपरीक्षण में फरियादी के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी को घटना के पहले से जानता है। वाहन द्वारा उसके चार पिहये के ठेले को टक्कर मारी थी और फिर उसे लगी थी। इस सुझाव से इंनकार किया है कि मनोज के उस पर दो हजार रूपए आ रहे थे इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट की थी।

09. उपरोक्त संबंध में फरियादी के द्वारा किये गए कथन का समर्थन साक्षी रिंकू जैन अ0सा0 2, अशोक कुमार जैन अ0सा0 3 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्षी अशोक कुमार जैन अ0सा0 3 के द्वारा आरोपी मनोज की पहचान की गई है और यह बताया है कि आयसर केंटर जिसका नम्बर एम.पी. 07— 1424 के चालक मनोज के द्वारा वाहन को तेजी से चलाकर फरियादी प्रकाश के ठेले में टक्कर मारी गई और टक्कर लगने से ठेला उलट गया था और प्रकाश को भी चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंनकार किया है कि आरोपी से उसकी रंजिश है, इसलिए उसके विरूद्ध झूटा कथन कर रहा है। इसी प्रकार साक्षी रिंकू जैन अ0सा0 2 के द्वारा भी घटना के समय आरोपी मनोज के द्वारा वाहन चलाया जाना और उसके द्वारा तेजी से वाहन चलाये जाना से ठेले में टक्कर मारना बताया है।

- अभियोजन साक्षी रिंकू जैन अ०सा० 2 और अशोक कुमार जैन अ०सा० 3 के 10. प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षीगण के द्वारा आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किये जाने हेतु असत्य कथन किया जा रहा है ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण दर्शित नहीं होता है। उक्त दोनों ही साक्षियों के द्वारा फरियादी प्रकाशचन्द्र जैन के इस संबंध में किये कथन की पुष्टि की गई है। आहत प्रकाशचन्द्र जैन के द्वारा घटना में उसे चोटें आनी बताई है और उसका एक्सरे होना भी बताया गया है। इस संबंध में उसका परीक्षण करने वाले डॉक्टर का कोई परीक्षण अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है और एक्सरे के संबंध में डॉक्टर एस.सी.गुप्ता अ0सा0 6 के रूप में परीक्षित कराया गया है। डॉक्टर एस.सी.गुप्ता के द्वारा आहत को कोई अस्थिमंग होना न पाया जाना अभिकथित किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आहत को कोई अस्थिभग होना नहीं पाया गया था इस आधार पर प्रकरण जो कि धारा 337 भा०दं०वि० के अंतर्गत साधारण उपहति से संबंधित है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। घटना में आहत प्रकाशचन्द्र जैन को चोटें आना स्वयं फरियादी प्रकाशचंन्द्र जैन अ०सा० 1, रिंकू जैन अ०सा० 2 एवं अशोक कुमार जैन अ०सा० 3 के द्वारा बताया गया है जो कि इस संबंध में उनके कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहे है।
- प्रकरण के विवेचना अधिकारी ए.एस.आई नन्ह्सिंह कुशवाह अ0सा0 4 ने घटना 11. के फरियादी प्रकाशचन्द्र जैन को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजना और नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाना जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। अन्य विवेचना अधिकारी जाहरसिंह अ०सा० 5 ने विवेचना के दौरान साक्षीगण रिंकू और अशोक के कथन लेखबद्ध करना, आरोपी की गिरफ्तारी कर गिफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 तैयार करना तथा आरोपी मनोज गिरी से वाहन आयसर केंटर कमांक एम.पी. 07 / 1224 को मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 तेयार करना और वाहन को मैकेनिकल जॉच हेत् भेजना बताया है। उक्त विवेचना अधिकारी के कथनों में उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।
- प्रकरण के फरियादी प्रकाशचंन्द्र जैन अ०सा० 1 तथा अन्य साक्षी रिंकू अ०सा० 2 और अशोक कुमार जैन अ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण उपरांत कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि साक्षियों की विश्वसनियता प्रभावित होती हो। उक्त साक्षियों के द्वारा किसी रंजिश के कारण अथवा उसे झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण उपरांत उक्त साक्षियों के कथन अखण्डनीय रहे है और उनके कथन विश्वास योग्य होना पाये जाते है।
- आरोपी मनोज गिरी के द्वारा घटना के समय वाहन चलाए जाने एवं वाहन का 13.

नम्बर फरियादी प्रकाशचन्द्र जैन तथा साक्षी अशोक कुमार जैन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है और साक्षी रिंकू जैन के द्वारा भी आरोपी की पहचान की गई है। वाहन आयसर केंटर और उसके कागजातों की जप्ती भी प्र.पी. 4 के अनुसार आरोपी मनोज से की गई है। इस प्रकार घटना के समय वाहन आरोपी मनोज के द्वारा ही चलाया जाना साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है।

- 14. उपरोक्त वाहन को आरोपी के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में फरियादी के द्वारा वाहन भिण्ड की तरफ से रफ्तार से आना बताया है। इसी प्रकार साक्षी रिंकू के द्वारा भी आरोपी के द्वारा गाडी को तेजी से लाने और दुर्घटना कारित करने के संबंध में बताया गया है और साक्षी अशोक कुमार के द्वारा भी तेजी से आरोपी के द्वारा वाहन चलाए जाने के कारण दुर्घटना घटित होना बताया गया है। इस संबंध में उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथन अखण्डनीय रहे है। घटनास्थल के नक्शामौका प्र.पी. 2 से भी यह दर्शित होता है कि उक्त घटना सड़क के किनारे घटित हुई है। निश्चित तौर से हाथ ठेला जो कि सड़क के किनारे चल रहा था। द्रक चालक की जिम्मेदारी थी कि वह सावधानी पूर्वक वाहन को ले जाए। फरियादी के द्वारा घटना कारित करने में किसी प्रकार की कोई योगदाई अपेक्षा रही हो ऐसा कहीं भी दर्शित अथवा प्रमाणित नहीं होता है।
- 15. उक्त परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को आरोपी मनोज गिरी के द्वारा वाहन आयसर केंटर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित करना एवं आहत प्रकाशचंन्द्र को जैन को चोटें पहुँचाई गई।
- 16. उपरोक्त परिप्रक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 07 जी.ए. 1424 को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलांकर दुर्घटना कारित कर आहत प्रकाशचंन्द्र जैन का जीवन क्षेयम संकटापन्न कारित करना प्रमाणित मानते हुए आरोपी को धारा 279 भाठदंठविठ के अंतर्गत दोषिसद्ध ठहराए जाने में कोई भी त्रुटी नहीं की है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन कर आरोपी को दोषिसद्ध ठहराया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा ठहराई गई दोषिसद्ध की पुष्टि की जाती है।
- 17. आरोपी मनोज गिरी की ओर से उसके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है उसका कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित अपराध की

प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों, पस्थितियों को देखते हुए आपराधिक परवीक्षाअधिनिय के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

- अपीलार्थी / आरोपी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया गया कि आरोपी को दिया गया दण्ड कठोर है। आहत को कोई चोट भी नहीं है। इस संबंध में विचार किया गया। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 279 भा0द0वि0 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावा एवं पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। आरोपी प्रकरण में सन् 2010 से लगातार उपस्थिति हो रहा है। आहत को आई हुई चोट साधारण प्रकार की है। आरोपी दिनाक 24.08.2015 से अभिरक्षा में है।
- विचारोपरांत प्रकरण के सभी तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 279 भा0दं०वि० में प्रदत्त की गई तीन माह की सश्रम कारावास की सजा को अपास्त कर अर्थदण्ड की राशि बढाया जाना उचित है। आरोपी मनोज गिरी को उसके द्वारा बिताई गई न्यायिक निरोध की अवधि तथा 1000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के द्वारा पूर्व में जमा की गई अर्थदण्ड की राशि उक्त राशि में समायोजित की जाए। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जाए।
- अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 750/- आहत प्रकाशचंन्द्र जैन को प्रतिकर 20. स्वरूप दिलाए जाने की कार्यवाही की जावे।
- जप्तशुदा वस्तु की सुपुर्दगी के संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश 21. यथावत रखा जाता है।
- आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु बापस किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड